Helpline 1064 94135-02834

# कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

## प्रेस नोट

- **सीकर में समग्र शिक्षा अभियान (समसा) का कनिष्ठ अभियंता 1 लाख 40 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *03 जुलाई, सोमवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर सीकर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये संदीप कुमार चौधरी कनिष्ठ अभियंता (संविदाकर्मी), समग्र शिक्षा अभियान (समसा), सीकर को परिवादी से **1 लाख 40 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

**भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक)** ने बताया कि ए.सी.बी. की सीकर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म द्वारा समसा में करवाये गये विभिन्न कार्यों के बकाया बिलों (कुल राशि 35 लाख 20 हजार रुपये) को पास करने की एवज में संदीप कुमार चौधरी कनिष्ठ अभियंता (संविदाकर्मी), समग्र शिक्षा अभियान (समसा), सीकर द्वारा **1 लाख 40 हजार रुपये** रिश्वत के रूप में मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत** के निर्देशन में एसीबी की सीकर इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री राजेश जांगिड़** द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री सुरेश चंद** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये संदीप कुमार चौधरी पुत्र श्री मोहन लाल निवासी भवानीपुरा, तहसील धोद, जिला सीकर हाल कनिष्ठ अभियंता (संविदाकर्मी), समग्र शिक्षा अभियान (समसा), सीकर को परिवादी से **1 लाख 40 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

**एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा** के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

**एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक)** ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।